_					
	ı	2	3	4	5
An and the		Shyamdas Vaidhya Pitha College, Calcutta	1.52	2. 20	2. 00
		Gopi Bandhu Ayurveda College, Puri	. 50	2.50	1.00
		Govt. College of Indian System of Medicine, Palayamkottai	2.20	3.00	2.70
		Government Ayurveda College, Patna		• 75	2.00
		Akhandanand Govt. Ayurved College, Ahmedabad			0.20

हिन्दी प्रनुवादक

10414. भी रामानम्ब तिबारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

Written Answers

- (क) क्या रेलवे बोर्ड ने पत्र संख्या हिन्दी/ 64/6/1 दिनांक 2-2-1964 के द्वारा पारित किये गर्मे आदेशों के अनुसार अनुवाद और प्रशिक्षण श्रुलग-श्रुलग कार्य है और जो कर्मचारी अनुवादक की योग्यता रखते हैं ये अनुदेशक का कार्य नहीं कर सकते इसी प्रकार धन्देशक धन्वादक का कार्य नहीं कर सकते;
- (ख) क्या बोर्ड के दिनांक, 8 मई 1978 के पत्न संख्या ई/ई0 एम 0 जी 0/ 1-78 ई एन माई/ 124 के अनुसार हिन्दी सैक्शन और हिन्दी प्रशिक्षण संगठन के पद एक साथ मिला दिये गये है जिसके परिणामस्वरूप हिन्दी अनुवादों के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ा है;
- (ग) यदि हो, तो क्या सरकार का विचार उक्त नीति की समीक्षा करने का है,;
- (घ) यदि हां, तो संशोधनों की रूप रेखा क्या है और यदि नहीं तो हिन्दी अनुवादकों का भविष्य अंधकारमय बनाने के क्या कारण हैं; भीर
 - (ङ) क्या पूर्व रेलवे के धनुवादोंकों ने इस

बारे में बहुत सी शिकायने की हैं (परन्तु उन पर मभी तक काई कार्यवाही नहीं की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (भी शिव नारायण): (क) से (ड) यह सही है कि 1964 में रेलवे बोर्ड द्वारा पूर्व रेलवे को एक स्पष्टीकरण भेजा गया या कि अनुवाद भीर प्रशिक्षण दो अलग-मलग क्षेत्र है भौर प्रधान हिन्दी भनुवादक के पत्र के लिए चयन वरिष्ठ भनुवादकों में से किया जाना चाहिए, क्यो कि जो कमंचारी अनुवाद भीर प्रशिक्षण के पद के लिए अलग भ्रलग योग्यता रखते हैं उन्हें एक दूसरे पद के लिए योग्य नहीं समझा जा सकता। लेकिन, राज-भाषा (संशोधन) प्रधिनियम, 1967 ग्रीर राजभाषा नियम, 1976 के पारित हो जाने और हिन्दी प्रशिशण की जिम्मेदारी पूर्णतः गृह मंत्रालय द्वार। ले लिए जाने के कारण इस स्थिति में कमशः परिवर्तन हुन्ना है। हिन्दी पणिक्षच युनिट के पास भव मुख्य काम इस बात का सुनिश्चित करना रह गया है कि राजभाषा संबधी धादेकों का पूर्णतः पालन किया जाय। इस प्रकार राजभाषा मधिनियम में द्विभाषीकरण की नीति से प्रशिक्षण युनिट में कार्यरत कर्मवारियों के अनुवाद कार्य के ज्ञान और धनुभव में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। लेकिन क्षेत्रीय रेलों पर प्रशिक्षण यूनिटों में कार्यरत कर्म-चारियों के लिए पदान्नति की कोई उपयुक्त सरिव की व्यवस्था नहीं की जा सकी। प्रक्रिकण यूनिट में कार्यरत कमचारियों ने रेलवे बोर्ड की समय-समय पर लिखित भीर मौखिक रूप से उनकी पदोन्नति सर्राण की इस ग्रसंगत स्थिति में सुधार साने का सनुरोध किया या । छानबीन से पता चला कि प्रशिक्षण यूनिट के काफी बड़ी संख्या में कर्मचारी लम्बे समय से एक ही ग्रेड में पड़े हुए

हैं और तरक्की की गुँजाइस न होने कें कारण वे अपने बेतनमान के प्रक्षिकतम पर्व पहुंच गये हैं या पहुंचम् की स्थिति में हैं। इसलिए रेस मंबालय ने अनुवाद युनिटों के कर्मचारियों की तरको की सम्भावना की तुलना में, हिन्दी प्रशिक्षण के कमचारियों की इस इयनीय स्थिति का गहचायी से अध्ययन किया और यह विनिश्चय किया कि इन दोनों संदगीं को एक साथ मिला दिया जावे वाकि दोनों के लिए पदोश्वति की सनान सर्वि उपलब्ध हो सके भीर दोनों यनिटों के कर्म चारियों के लिए अपे ग्रेड के पदों पर पदोन्नति की सम्भावना बन जामे । रेल मंत्रालय ने रेलों पर काफी बड़ी संख्या में कार्यरत भराजपत्नित कर्मवारियों के व्यापक को ध्यान में रक्षकर यह निर्णय लिया है धौर प्रधिकांश कर्मचारियों ने इसे पसन्द किया है। यद्यपि यह सही है कि पूर्व रेवे के कुछ धनुवादकों ने रेलवे बोर्ड की प्रपना प्रभ्यादेदन भेजा है । लेकिन ये व कनिष्ठ प्रनुवादक है जिन्हें दोनों संवर्गों को मिमला दिये जाने के परिणाम-स्वरूप एक ग्रेड की सेवा भवधि के शाधार पर भापसी वरिष्यता निर्धारित करन के कारण नुकसान पहुंचा है । इस निर्णय से मुख्यतः 425—640 रुपये के वेतनमान में कार्यरतः कर्मेचारियों पर प्रभाव पड़ा है सीर यह भी केवल उन अनुवादकों पर पड़ा है । जिनको सेवा की अवधि प्रशिक्षण युनिट के कर्मचारियो की सेवा की भवधि से कम है।

1978 में दोनों संवयों के मिला दिये जाने से उन कर्मेचारियों की तुलना में जिन्हें इससे नुकसान पहुंचा है, इन यूनिटों के अधिकांश कर्मेचारियों को लाभ पहुंचा है। इसलिए रेल मंत्रालय का कर्मेचारियों के ज्यापक हित को ज्यान में रखते हुए अपने निर्णय में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

Kailway wagons indented by S. E. Railway

10415. SHRI AINTHU SAHOO: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that there is a huge shortage of Railway wagons in the South Eastern Railway against the orders;
- (b) the total number of wagons indented by end of March and the number supplied; and
- (c) what are the causes of these shortages and the cures prescribed for it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) There is no overall shortage of wagons as such. But due to change in pattern of traffic and the subsequent increase in lead and consequent increase in turn-round of wagons availability has been less than required.

- (b) 9638 wagons were loaded per day during March 1979 leaving an outstanding demand for 61,003 wagons as on 31-3-1979.
- (c) Due to floods there was a complete set-back on the system for about two months. Moreover, due to heavy receipt of imported fertilizers and coal, South Eastern Railway had to arrange movements of the same in addition to all programmed traffic and other higher priority traffic. Besides, the detention to wagons at the ore loading points and by other major users like steel plants, washeries in Kathara area, disruption to traffic due to public agitations, wild-cat strikes and sudden work stoppages by categorical Associations etc., resulted in deterioration in wagon mobility. All possible endeavour is being made to improve loading in consultation with the State Governments, major bulk consumers and the trade.

इज्जत मगर डिबीजन द्वारा बैगनों का आवंटन

- 10416. भी राम प्रकाश विषाठी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा धासाम में धासू की दुलाई के लिए मार्च/धप्रैल, 1979 में इच्चत नगर दिवीजन द्वारा कितने वैगन धावंटित किये गये;
- (ख) इन झाबंटित वैगनों में से कितने वैगन भासाम, गौहाटी तथा धन्य स्थानों पर झालू उत्पादकों को दिये गये और कितने व्यापारियों को विये गये ।
- (ग) क्या यह मच है कि वैगन भावंटित करने के मामलें में किसानों की भ्रपेका बड़े व्यापारियों को प्राथमिकता दी जाती हैं; भीर
- (घ) यदि हो, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचाद है ?